Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THRUSDAY, MARCH 11, 2010
(PHALGUNA 20, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 11th March, 2010

No. 9—HLA of 2010/18.—The Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqarridar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 9—HLA of 2010

THE HARYANA DOHLIDAR, BUTIMAR, BHONDEDAR AND MUQARRIDAR (VESTING OF PROPRIETARY RIGHTS) BILL, 2010.

A

BILL

to vest proprietary rights in Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqarridar and provide for payment of compensation to the landowner whose proprietary right is extinguished and for other consequential and incidental matters.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent, commencement and application.

1. (1) This Act may be called Haryana Dohlidar, Butimar, Bhondedar and Muqarridar (Vesting of Proprietary Rights) Act, 2010.

(2) It extends to the whole of the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint.

(4) This Act shall be applicable to Dohlidar, Butimar, Bhondedar, Muqarridar or any other similar class or category of persons which the State Government may notify in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appointed day" means in relation to Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar, recorded as such in revenue record for more than twenty years, the day on which this Act comes into force and in other cases where twenty years have not yet been completed and such person is recorded as Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar on or before the date of commencement of this Act, the day on which the person fulfils the condition of twenty years;

(b) "Collector" means the Collector of the district in which the land, in respect of which such rights are vested in a Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar under this Act, is situated and includes any officer not below the rank of an Assistant Collector of the First Grade specially empowered by the State Government to perform the duties of a Collector under this Act;

(c) "Commissioner" means the Commissioner appointed under the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887);

(d) "Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar" means a person who has been recorded as such in the revenue record and includes his predecessor and successor in interest;

(e) "Financial Commissioner" means the Financial Commissioner appointed under the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887);

(f) "land" means land which is occupied by a Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar and given to him by landlord in lieu of services rendered and includes the sites of buildings and other structures on such land;

(g) "landowner" means a person under whom a Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar holds land and includes his predecessors and successors;

(h) "State Government" means the Government of the State of Haryana the Administrative Department.

Vesting of proprietary rights in Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar.

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, custom, usage or deed for the time being in force, on and from the appointed day–

(a) all rights, title and interest including the contingent interest, if any, recognized by any law, custom, usage or deed for the time being in force with respect to the land and vested in the landowner shall be extinguished, and such rights, title and interest shall vest in the

Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar under whose occupation the land is, free from all encumbrances, if any, created by the landowner;

(b) the landowner shall cease to have any right to collect or receive any rent or service in respect of such land.

Procedure for payment of compensation.

4. (l) Any landowner whose rights have been extinguished under section 3 may, within twelve months from the appointed day, apply to the Collector, in such form, as may be prescribed, for the compensation payable to the landowner by the Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar:

Provided that the Collector may entertain the application after the expiry of the said period of twelve months if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the application in time.

(2) On receipt of an application under Sub-section (l), the Collector shall issue notice to the parties concerned and after giving the parties an opportunity of being heard and after making such enquiry, as may be prescribed, shall make an award for compensation payable at the rate of Five hundred rupees per acre by the Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar to the landowner.

(3) Where there is any dispute as to the person or persons who are entitled to the compensation, the Collector shall decide such dispute and if the Collector finds that more than one person is entitled to compensation, he shall apportion the amount thereof amongst such persons.

(4) Where the compensation is payable to a minor or to a person having a limited interest, the Collector may make such arrangements as may be equitable having regard to the interest of the minor or the person concerned.

(5) The Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar shall be liable to pay the compensation in lump sum.

(6) If the Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar fails to deposit the compensation within two months of the receipt of the award announced by the Collector, the land shall vest in the landowner.

(7) If the land is subject to a mortgage at the time of payment of compensation, the land shall pass to the Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar unencumbered by the mortgage or charge but the mortgage debt shall be a charge on the compensation payable.

(8) If there is no such charge as aforesaid, the Collector, shall subject to any directions which he may receive from any court, pay the compensation to the landowner.

(9) If there is such a charge, the Collector shall, subject as aforesaid, apply in the discharge of the mortgage debt so much of the compensation as is required for the purpose and pay the balance, if any, to the landowner, or retain the compensation pending the decision of civil court as to the person or persons entitled thereto.

Appeal.

5. An appeal shall lie from an original or appellate order made under this Act as follows, namely:—

(a) any order made by the Collector to the Commissioner; and

(b) any order of the Commissioner to the Financial Commissioner:

Provided that when an original order is confirmed on first appeal, a further appeal shall not lie.

Limitation.

6. The period of limitation for an appeal under the last foregoing section shall run from the date of the order appealed against and shall be as follows, namely:—

(a) when the appeal lies to the Commissioner - sixty days; and

(b) when the appeal lies to the Financial Commissioner - ninety days.

Review

7. (l) The Collector, Commissioner or Financial Commissioner may, either on his own motion or on the application made within ninety days by the party interested, review and on such review, modify, reverse or confirm any order passed by himself or by any of his predecessors in office :

Provided as follows:—

(a) when a Commissioner or Collector thinks it necessary to review any order which he has not himself passed, he shall first obtain the sanction of the officer under whose control he is immediately subject to;

(b) an application for review of an order shall not be entertained unless it is made within ninety days from the passing of the order, or unless the applicant satisfies the concerned officer that he had sufficient cause for not making the application within that period;

(c) an order shall not be modified or reversed unless reasonable notice has been given to the parties affected thereby to appear and be heard in support of the order;

(d) an order against which an appeal has been preferred shall not be reviewed.

(2) An appeal shall not lie from an order refusing to review, or conforming on review, a previous order.

Power to call for, examine and revise proceedings.

8. (1) The Financial Commissioner may at any time call for the record of any case pending before, or disposed of by any officer subordinate to him.

(2) A Commissioner may call for the record of any case pending before, or disposed of by the Collector under his control.

(3) If in any case in which a Commissioner has called for a record and he is of opinion that the proceedings taken or the order made should be modified or reversed, he shall submit the record with his opinion on the case for the orders of the Financial Commissioner.

(4) If, after examining the record called for by him under Sub-section (1) or submitted to him under Sub-section (3), the Financial

Commissioner is of opinion that it is inexpedient to interfere with the proceedings or the order, he shall pass an order accordingly.

(5) If, after examining the record, the Financial Commissioner is of opinion that it is expedient to interfere with the proceedings or the order on any ground on which the High Court in the exercise of its revisional jurisdiction may under the law for the time being in force interfere with the proceedings or an order or decree of a civil court, he shall fix a day for hearing the case, and may, on that or any subsequent day to which he may adjourn the hearing or which he may appoint in this behalf, pass such order as he thinks fit in the case.

(6) Except when the Financial Commissioner fixes, under Sub-section (5), a day for hearing the case, no party has any right to be heard before the Financial Commissioner while exercising his powers under this section.

Certain mortgages and charges not enforceable.

9. Notwithstanding anything contained in any contract or in any law for the time being in force, no claim or liability, whether under any decree or order of a civil court or otherwise, enforceable against a landowner for any money which is charged on, or is secured by a mortgage of, any land held by a Dohlidar, Butimar, Bhondedar or Muqarridar, shall be enforceable against the said land.

Bar of jurisdiction.

10. Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by the Collector, Commissioner or Financial Commissioner shall be final and no proceeding or order taken or made under this Act, shall be called in question by any court or before any officer or authority.

Bar tc legal proceedings.

11. No prosecution, suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules made thereunder.

Power to remove difficulties.

12. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to make rules.

13. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the form and manner in which an application for compensation may be made by the landowner;

(b) the form of notice and the manner in which notices may be served under this Act;

(c) the manner in which inquiries may be held under this Act;

(d) the manner in which appeals and applications for review and revision may be filed;

(e) any other matter which has to be or may be prescribed under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The object and purpose of the Bill, is to vest proprietary rights in Dohlidars or Butimars or Bhondedars and Muqarridars or any other similar category of persons to be notified by the State Government at a later date. Even though these persons have been cultivating these lands for several generations, they are not able to sell, alienate, lease or mortgage such land or raise loans from financial institutions, resulting in undue hardship to their families. Persons belonging to these categories have been rendering services to their community and retaining the land for subsistence but they are not absolute owners of land, compounding their misery.

Most of these Dohlidars, Butimars, Bhondedars and Muqarridars are small or marginal farmers. In order to mitigate the misery of their indigent families, it has been thought fit to vest them with proprietary rights of land of which they are the actual tillers. These special category of persons have been retaining this land for many generations, so the land under their cultivation is in the form of grant in perpetuity. Since they had not been paying any rent to the landowners and they had made vast improvement in these holdings by clearing the jungles and levelling the undulated terrains, it has been felt that a token compensation would meet the ends of justice. To confer proprietary rights on Dohlidars, Butimars, Bhondedars and Muqarridars and to provide for payment of token compensation to the landowners whose rights are extinguished and for certain consequential and incidental matters, this legislative measure of agrarian reforms is being proposed.

BHUPINDER SINGH HOODA
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 11th March, 2010

SUMIT KUMAR,
Secretary.

MEOMRANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 13 of this Bill empowers the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. This delegation of power to the Executive is of normal character and no where overrides the normal scope of delegation of legislative power. Hence, this memorandum of delegation of legislative power is annexed as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2010 का विधेयक संख्या 9—एच० एल० ए०

हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) विधेयक, 2010

दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार में मालिकाना अधिकार निहित करने के लिए तथा उन भू-स्वामी जिसके मालिकाना अधिकार निर्वापित किए गए हैं, को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए तथा अन्य पारिणामिक तथा आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा लागू होना।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(4) यह अधिनियम दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार या किसी अन्य समरूप वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार के सम्बन्ध में "नियत दिन" से अभिप्राय है, जो इस अधिनियम के लागू होने के दिन को, राजस्व अभिलेख में ऐसे रूप में बीस वर्ष से अधिक से अभिलिखित हैं, तथा अन्य मामलों में जहां फिर भी अभी बीस वर्ष पूरे नहीं किए हैं, तथा ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पूर्व दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार के रूप में अभिलिखित हैं वह दिन जिसको व्यक्ति बीस वर्ष की शर्त पूरी करते हों;

(ख) "कलक्टर" से अभिप्राय है, उस जिले का कलक्टर जिसमें भूमि, जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकेरीदार में ऐसे अधिकार निहित हैं, स्थित है तथा इसमें शामिल हैं इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी जो सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी की पदवी से नीचे का न हो;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्राय है, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), के अधीन नियुक्त किया गया आयुक्त;

(घ) "दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसे राजस्व अभिलेख में ऐसे रूप में अभिलिखित किया गया है तथा इसमें इसके पूर्वज तथा हित उत्तराधिकारी शामिल हैं;

(ङ) "वित्तायुक्त" से अभिप्राय है, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), के अधीन नियुक्त किया गया वित्तायुक्त;

(च) "भूमि" से अभिप्राय है, दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार द्वारा अधिकृत है, तथा भू-स्वामी द्वारा सेवा देने के बदले उसको दी गई है तथा जिसमें ऐसी भूमि पर निर्माणों के स्थल तथा अन्य संरचनाएं भी शामिल हैं;

(छ) "भू-स्वामी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसके अधीन दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार भूमि धारण करता है तथा इसमें किसी भूमि मालिक के पूर्वज तथा हित उत्तराधिकारी भी शामिल हैं;

(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार में मालिकाना अधिकारों को निहित करना।

3. तत्समय लागू किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या विलेख में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, नियत दिन को या से—

(क) भूमि के संबंध में तथा भू-स्वामी में निहित तत्समय लागू किसी विधि, रूढ़ि, प्रथा या विलेख द्वारा मान्यताप्राप्त समाश्रित हित सहित सभी अधिकार, हक तथा हित, यदि कोई हो, निर्वापित हो जाएंगे, तथा ऐसे अधिकार, हक तथा हित, भू-स्वामी द्वारा सृजित, सभी ऋणभारों, यदि कोई हों, से मुक्त भूमि जिसके अधिभोग में है दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार में विहित हो जाएगी;

(ख) भू-स्वामी का ऐसी भूमि का संबंध में किसी किराये को एकत्र करने या सेवा को प्राप्त करने का कोई अधिकार समाप्त हो जाएगा।

प्रतिकार का भुगतान करने के लिए प्रक्रिया।

4. (1) धारा 3 के अधीन कोई भू-स्वामी जिसके अधिकार निर्वापित हो गए हैं, कलक्टर को नियत दिन से बारह मास के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार द्वारा भू-स्वामी को भुगतानयोग्य प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है :

परन्तु कलक्टर बारह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन ग्रहण कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को पर्याप्त कारण द्वारा समय पर आवेदन दायर करने से रोका गया था।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा ऐसी जांच करने के बाद, जो विहित की जाए, दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार द्वारा भू-स्वामी को पांच सौ रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतानयोग्य प्रतिकर का अधिनिर्णय करेगा।

(3) जहां व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जो प्रतिकर के हकदार हैं कोई विवाद है, तो वहां कलक्टर ऐसे विवाद का निर्णय करेगा तथा यदि कलक्टर निष्कर्ष निकालता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हैं, तो वह ऐसे व्यक्तियों में उस राशि का विभाजन करेगा।

(4) जहां प्रतिकर किसी अवस्यक या सीमति हित रखने वाले किसी व्यक्ति को भुगतानयोग्य है, वहां कलक्टर ऐसी व्यवस्था करेगा जो अवस्यक या संबंधित व्यक्ति के हित के संबंध में उचित हो।

(5) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार प्रतिकर एकमुश्त भुगतान करने के दायी होंगे।

(6) यदि दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार कलक्टर द्वारा पारित अधिनिर्णय की प्राप्ति के दो मास के भीतर प्रतिकर जमा करवाने में असफल रहते हैं, तो भूमि भू-स्वामी में निहित हो जाएगी।

(7) यदि प्रतिकर के भुगतान के समय भूमि बन्धक के अध्यधीन है, तो भूमि बन्धक या प्रभार द्वारा ऋणमुक्त दोहलीदार, बुटीमार, भौंडेदार तथा मुकेरीदार को चली जाएगी किंतु बंधक ऋण भुगतानयोग्य प्रतिकर पर प्रभार होगा।

(8) यदि यथा उपरोक्त ऐसा प्रभार नहीं है, तो कलक्टर, किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन जो वह किसी न्यायालय से प्राप्त करता है, भू-स्वामी को प्रतिकर का भुगतान करेगा।

(9) यदि ऐसा कोई प्रभार है, तो कलक्टर, यथा उपरोक्त के अध्यधीन, इतना प्रतिकर जो बंधक ऋण के उन्मोचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, प्रयोग में लाएगा तथा बकाया, यदि कोई हो, भू-स्वामी को भुगतान करेगा, या उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में, सिविल न्यायालय के लंबित निर्णय तक प्रतिकर रोके रखेगा।

अपील।

5. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी मूल या अपील आदेश से अपील निम्न प्रकार से होगी, अर्थात् :—

(क) कलक्टर द्वारा किये गये किसी ओदश के विरूद्ध आयुक्त को ; तथा

(ख) आयुक्त द्वारा किये गये किसी ओदश के विरूद्ध वित्तायुक्त को:

परन्तु जब कोई मूल आदेश प्रथम अपील पर पुष्ट किया गया है, आगे कोई अपील नहीं हो सकेगी।

परिसीमा।

6. अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमा की अवधि आदेश की तिथि से, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, शुरू होगी तथा निम्नलिखत प्रकार से होगी, अर्थात् :—

(क) जब अपील आयुक्त को की जाती है - साठ दिन ; तथा

(ख) जब अपील वित्तायुक्त को की जाती है - नब्बे दिन।

पुनर्विलोकन।

7. (1) कलक्टर, आयुक्त या वित्तायुक्त, या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नब्बे दिन के भीतर किए गए आवेदन पर पुनर्विलोकन कर सकता है और ऐसे पुनर्विलोकन पर अपने द्वारा या पद में उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को परिवर्तित, उलट या पुष्ट कर सकता है :

परन्तु :—

(क) जब कोई आयुक्त या कलक्टर ऐसे किसी आदेश का जो स्वयं उसने पारित नहीं किया है, पुनर्विलोकन आवश्यक समझता है, तो वह पहले उस अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा जिसके सीधे नियंत्रण के अधीन वह है ;

(ख) किसी आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक वह आदेश किए जाने की तिथि से नब्बे दिन के भीतर नहीं किया गया है, या जब तक आवेदक संबंधित अधिकारी को संतुष्ट नहीं कराता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे ;

(ग) कोई ओदश तब तक परिवर्तित या उलटाया नहीं जाएगा, जब तक उसके द्वारा प्रभावित पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए और आदेश के समर्थन में सुनवाई के लिए, युक्तियुक्त नोटिस नहीं दे दिया गया है ;

(घ) किसी ऐसे आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा।

(2) किसी पूर्ववर्ती आदेश का पुनर्विलोकन करने से इनकार करने या पुनर्विलोकन के अनुरूप किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी।

कार्यवाहियां मंगाने, उनका परीक्षण तथा पुनरीक्षण की शक्ति।

8. (1) वित्तायुक्त किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकता है।

(2) आयुक्त अपने नियंत्रणाधीन कलक्टर के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकता है।

(3) यदि किसी मामले में जिसमें आयुक्त ने कोई अभिलेख मंगाया हो और उसकी राय है कि की गई कार्यवाहियां या किया गया आदेश परिवर्तित किया जाना चाहिए या उलटा दिया जाना चाहिए, तो वह वित्तायुक्त के आदेशों के लिए मामले पर अपनी राय सहित अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि, उपधारा (1) के अधीन उस द्वारा मांगे गए या उपधारा (3) के अधीन उसको प्रस्तुत किए गए अभिलेख के परीक्षण के बाद, वित्तायुक्त की राय है कि कार्यवाहियों या आदेश में हस्ताक्षेप करना अनुचित है, तो वह तदनुसार आदेश पारित करेगा।

(5) अभिलेख के परीक्षण के बाद, यदि वित्तायुक्त की राय है कि किसी आधार पर जिस पर उच्च न्यायालय इसकी पुनरीक्षण की अधिकारिता के प्रयोग मे कार्यवाहियों या आदेश में हस्तक्षेप करना उचित है, तो वह तत्समय लागू विधि के अधीन किसी सिविल न्यायालय की कार्यवाहियों या आदेश या डिक्री में हस्तक्षेप कर सकता है, वह मामले की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा, उस दिन या किसी पश्चात्वर्ती दिन जिसके लिए वह सुनवाई स्थगित करे या जिसको वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह मामले में उचित समझे।

(6) उपधारा (5) के अधीन, जब वित्तायुक्त मामले की सुनवाई के लिए दिन नियत करता है के सिवाय, किसी भी पक्षकार को वित्तायुक्त के सम्मुख सुनवाई के लिए कोई अधिकार नहीं होगा जब इस धारा के अधीन अपनी शक्तियां प्रयोग कर रहा है।

कतिपय बन्धकों तथा प्रभारों का प्रवर्तनीय न होना।

9. तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा में या किसी विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी दावा या दायित्व, चाहे किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन या अन्यथा, जो किसी धन के लिए किसी भू-स्वामी के विरुद्ध प्रवर्तनीय हो, जो किसी दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार द्वारा धारण की गई किसी भूमि पर प्रभारित, या के किसी बन्धक द्वारा सुरक्षित हो, उक्त भूमि के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा।

अधिकारिता का वर्जन।

10. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कलक्टर, आयुक्त या वित्तायुक्त द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा तथा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं की जाएगी या नहीं किया जाएगा।

विधिक कार्यवाहियों का वर्जन।

11. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, राज्य सरकार या किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

12. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्य रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्ध जो असंगत न हो ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हों।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) प्ररूप तथा रीति जिसमें भू-स्वामी द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन किया जा सकता है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन नोटिस का प्ररूप तथा रीति जिसमें नोटिसों की तामील की जा सकती है;

(ग) रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन जांच की जा सकती है;

(घ) रीति जिसमें पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के लिए अपीलें तथा आवेदन दायर किये जा सकते हैं;

(ङ) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

बिल का उद्देश्य हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार या अन्य समान वर्ग के व्यक्तियों जो कि राज्य सरकार द्वारा बाद में अधिसूचित किये जाने हैं, को मालिकाना अधिकार देने से है। यद्यपि ये व्यक्ति इन भूमियों को कई पीढ़ियों से जोतते आ रहे हैं, परन्तु वे इसे बेचने, अधिकार का हस्तान्तरण करने, पट्टे पर देने या रहन करने अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के योग्य नहीं होने के कारण इन परिवारों को अनावश्यक कठिनाई आ रही है। इन वर्गों से संबंधित व्यक्ति अपने समुदाय को सेवाएं दे रहे हैं और निर्वाह के लिए भूमि रखे हुये हैं परन्तु वे इस भूमि के पूर्ण तौर पर स्वामी नहीं हैं जिसके कारण उनके कष्ट बढ़ गये हैं।

2. इन दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार में से अधिकतर लघु तथा सीमान्त किसान हैं। इन निर्धन परिवारों के कष्ट कम करने के लिए भूमि के मालिकाना अधिकार जिसके वे असली जोतने वाले हैं, देना उचित समझा गया है। यह विशेष वर्ग के व्यक्ति इस भूमि को कई पीढ़ियों से रखे हुये हैं, इसलिए भूमि उनके पास निरन्तर अनुदान के रूप में है। क्योंकि ये भू-स्वामियों को इस भूमि का कोई किराया नहीं दे रहे हैं और उन्होंने इस असमतल भूमि पर खड़े जंगल को साफ करके तथा समतल करके इसमें बहुत सुधार किया है, इसलिए यह अनुभव किया गया है कि उन को नाममात्र का मुआवजा देना न्यायोचित होगा। दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकेरीदार को मालिकाना अधिकार देने तथा उन भू-स्वामियों जिनके मालिकाना हक समाप्त कर दिये गये हैं, को नाममात्र मुआवजा प्रदान करने एवं कई अनुवर्ती एवं आकस्मिक मामलों के लिए यह भूमि सुधार का विधेयक प्रस्तावित किया जा रहा है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
11 मार्च, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

इस विधेयक का खण्ड 13 राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएं। कार्यपालिका का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और विधायी शक्तियों के सामान्य प्रत्यायोजित की सीमा को नहीं लांघता है। अत: विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन का यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।

47005—H.V.S.—H.G.P., Chd.